"**स्पष्टीकरण**—इस खंड के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित के संबंध में उपगत किसी व्यय या किए गए संदाय को कर्मचारी कल्याण के लिए व्यय के रूप में नहीं समझा जाएगा,—

(i) किसी कानूनी बाध्यता को पूरा करने ; या

(ii) व्यवसाय संबंधी परिसंकट को दूर करने ; या

(iii) नियोजक द्वारा चलाए जा रहे अस्पताल या औषधालय में प्राथमिक चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने ; या

(iv) कर्मचारी के बालकों के लिए शिशु गृह सुविधा प्रदान करने ; या

(v) ऐसे किसी खिलाड़ी को प्रायोजित करने जो कर्मचारी है ; या

(vi) कर्मचारियों के लिए खेलकूद समारोह आयोजित करने ;";

(III) खंड (ट) का लोप किया जाएगा ।

**23.** आय-कर अधिनियम की धारा 115बग की उपधारा (1) में 1 अप्रैल, 2009 से,— धारा 115बग का संशोधन ।

(i) खंड (ग) में, "खंड (क) से खंड (ट)" शब्दों, कोष्ठकों और अक्षरों के स्थान पर, "खंड (क) से खंड (ठ)" शब्द, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ii) खंड (घ) में, "खंड (ठ) से खंड (त)" शब्दों, कोष्ठकों और अक्षरों के स्थान पर, "खंड (ड) से खंड (त)" शब्द, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे ।

**24.** आय-कर अधिनियम की धारा 115बघ की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण के खंड (क) में, "31 अक्तूबर" अंक और शब्द के स्थान पर, "30 सितंबर" अंक और शब्द रखे जाएंगे । धारा 115बघ का संशोधन ।

**25.** आय-कर अधिनियम की धारा 115बङ की उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :— धारा 115बङ का संशोधन ।

'(1) जहां धारा 115बघ के अधीन विवरणी दी गई है वहां ऐसी विवरणी पर निम्नलिखित रीति से कार्यवाही की जाएगी, अर्थात् :—

(क) अनुषंगी फायदों के मूल्य की संगणना निम्नलिखित समायोजन करने के पश्चात् की जाएगी, अर्थात् :—

(i) विवरणी में कोई गणित संबंधी गलती ; या

(ii) कोई गलत दावा, यदि ऐसा गलत दावा विवरणी में किसी सूचना से प्रकट है ;

(ख) कर और ब्याज यदि कोई है, की संगणना, खंड (क) के अधीन संगणित अनुषंगी फायदों के मूल्य के आधार पर की जाएगी ;

(ग) निर्धारिती द्वारा संदेय राशि या उसे देय प्रतिदाय की रकम का अवधारण संदत्त किसी अग्रिम कर, स्वनिर्धारण के आधार पर संदत्त कर और कर या ब्याज के रूप में अन्यथा संदत्त किसी रकम का खंड (ख) के अधीन संगणित कर और ब्याज, यदि कोई हो, में समायोजन के पश्चात् अवधारित की जाएगी ;

(घ) कोई सूचना खंड (ग) के अधीन निर्धारिती द्वारा संदेय किए जाने के लिए अवधारित राशि या उसे देय प्रतिदाय की रकम को विनिर्दिष्ट करते हुए तैयार या उत्पन्न की जाएगी और निर्धारिती को भेजी जाएगी ; और

(ङ) खंड (ग) के अधीन अवधारण के अनुसरण में निर्धारिती को देय प्रतिदाय की रकम निर्धारिती को मंजूर की जाएगी :

परंतु इस उपधारा के अधीन कोई सूचना उस वित्तीय वर्ष के, जिसमें विवरणी दी गई है, अंत से एक वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं भेजी जाएगी ।

**स्पष्टीकरण**—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "विवरणी में किसी सूचना से प्रकट गलत दावा" से ऐसा दावा अभिप्रेत है जो विवरणी में किसी प्रविष्टि के आधार पर,—

(i) किसी ऐसी मद से संबंधित है जो उसी विवरणी की किसी अन्य प्रविष्टि से असंगत है या ऐसी विवरणी में किसी अन्य मद से संबंधित है ;

(ii) जिसकी बाबत ऐसी प्रविष्टि को सिद्ध करने के लिए दी जाने के लिए अपेक्षित सूचना इस अधिनियम के अधीन इस प्रकार नहीं दी गई है ; या

(iii) किसी कटौती या अनुषंगी फायदों के मूल्य की बाबत है, जहां ऐसी कटौती या ऐसा मूल्य विनिर्दिष्ट कानूनी सीमा से अधिक है जो धन के रूप में रकम या प्रतिशत या अनुपात या उसके खंड के रूप में व्यक्त की जा सकती थी ;

(ख) विवरणी की अभिस्वीकृति उस दशा में सूचना समझी जाएगी जहां खंड (ग) के अधीन निर्धारिती द्वारा कोई राशि संदेय नहीं है या उसे प्रतिदेय नहीं है और जहां खंड (क) के अधीन कोई समायोजन नहीं किया गया है ।

(1क) उपधारा (1) के अधीन विवरणियों पर कार्यवाही करने के प्रयोजनों के लिए, बोर्ड उस उपधारा के अधीन अपेक्षित रूप में निर्धारिती द्वारा संदेय कर या उसे देय प्रतिदाय का शीघ्रता से अवधारण करने की दृष्टि से विवरणियों की कार्यवाहियों के केन्द्रीयकरण के लिए स्कीम बना सकेगा ।

(1ख) जैसा अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय उपधारा (1क) के अधीन बनाई गई स्कीम को प्रभावी करने के प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, यह निदेश दे सकेगी कि विवरणियों की कार्यवाही से संबंधित इस अधिनियम के कोई उपबंध लागू नहीं होंगे या ऐसे अपवादों, उपांतरणों और अनुकूलनों के साथ लागू होंगे जो उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं, तथापि ऐसा कोई निदेश 31 मार्च, 2009 के पश्चात् जारी नहीं किया जाएगा ।

(1ग) उपधारा (1ख) के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना, उपधारा (1क) के अधीन बनाई गई स्कीम के साथ, अधिसूचना के जारी किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी ।'।

नई धारा 115बटख का अंतःस्थापन ।

**26.** आय-कर अधिनियम की धारा 115बटक के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

कर्मचारी द्वारा कर का समझा गया संदाय ।

"115बटख. (1) जहां किसी नियोजक ने धारा 115बख की उपधारा (1) के खंड (घ) में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट प्रतिभूति या श्रम साध्य शेयरों के आबंटन की बाबत किसी अनुषंगी फायदा कर का संदाय कर दिया है और बाद में ऐसा कर कर्मचारी से वसूल कर लिया गया है, वहां यह समझा जाएगा कि इस प्रकार वसूल किया गया अनुषंगी फायदा कर उस कर्मचारी द्वारा केवल उस सीमा तक उसे उपलब्ध कराए गए अनुषंगी फायदे के मूल्य के संबंध में संदत्त कर है, जिस तक उसकी रकम धारा 115बग की उपधारा (1) के खंड (खक) के अधीन यथा अवधारित, ऐसे कर्मचारी को प्रदान किए गए अनुषंगी फायदे के मूल्य से संबंधित है ।

(2) इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी जहां कर्मचारी से वसूल किए गए अनुषंगी फायदा कर को उपधारा (1) के अधीन ऐसे कर्मचारी द्वारा संदत्त कर समझा गया है वहां ऐसा कर्मचारी, इस अधिनियम के अधीन,—

(i) कर के ऐसे संदाय में से किसी प्रतिदाय के लिए ; या

(ii) कर के ऐसे संदाय का अन्य आय संबंधी कर दायित्व के संबंध में या किसी अन्य कर दायित्व के संबंध में किसी मुजरे का,

दावा करने के लिए हकदार नहीं होगा ।"।

धारा 139 का संशोधन।

**27.** आय-कर अधिनियम की धारा 139 में,—

(क) उपधारा (1) के स्पष्टीकरण 2 के खंड (क) में, "अक्तूबर का 31वां दिन" अंकों और शब्दों के स्थान पर, "30 सितंबर" अंक और शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (9) के स्पष्टीकरण के खंड (ग) के उपखंड (i) में, "1 अप्रैल, 2008 के पूर्व" अंकों और शब्दों का लोप किया जाएगा ।

धारा 142 का संशोधन।

**28.** आय-कर अधिनियम की धारा 142 की उपधारा (2ग) के परंतुक में, "इस निमित्त निर्धारिती द्वारा आवेदन किए जाने पर" शब्दों के स्थान पर, "स्वप्रेरणा से या इस निमित्त निर्धारिती द्वारा आवेदन किए जाने पर" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 143 का संशोधन।

**29.** आय-कर अधिनियम की धारा 143 में,—

(क) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :—

'(1) जहां विवरणी धारा 139 के अधीन या धारा 142 की उपधारा (1) के अधीन किसी सूचना के उत्तर में दी गई है वहां ऐसी विवरणी पर निम्नलिखित रीति में कार्यवाही की जाएगी, अर्थात् :—

(क) कुल आय या हानि की संगणना निम्नलिखित समायोजन करने के पश्चात् की जाएगी, अर्थात् :—

(i) विवरणी में कोई गणित संबंधी गलती ; या

(ii) कोई गलत दावा, यदि ऐसा गलत दावा विवरणी में किसी सूचना से प्रकट है ; या

(ख) कर और ब्याज की, यदि कोई हो, संगणना खंड (क) के अधीन संगणित कुल आय के आधार पर की जाएगी ;

(ग) निर्धारिती द्वारा संदेय राशि या उसे देय प्रतिदाय की रकम, स्रोत पर काटे गए किसी कर, स्रोत पर संगृहीत किसी कर, संदत्त किसी अग्रिम कर, धारा 90 या धारा 90क किसी करार के अधीन अनुज्ञेय किसी राहत या धारा 91 के अधीन अनुज्ञेय किसी राहत, अध्याय 8 के भाग क के अधीन अनुज्ञेय किसी रिबेट, स्वनिर्धारण पर संदत्त किसी कर और कर या ब्याज के रूप में अन्यथा संदत्त किसी रकम से खंड (ख) के अधीन संगणित कर और ब्याज, यदि कोई हो, के समायोजन के पश्चात् अवधारित की जाएगी ;

(घ) खंड (ग) के अधीन निर्धारिती द्वारा संदेय किए जाने के लिए अवधारित राशि या उसे देय प्रतिदाय की रकम विनिर्दिष्ट करते हुए एक सूचना तैयार या उत्पन्न की जाएगी और निर्धारिती को भेजी जाएगी ; और

(ङ) खंड (ग) के अधीन अवधारण के अनुसरण में निर्धारिती को देय प्रतिदाय की रकम निर्धारिती को मंजूर की जाएगी :

परंतु सूचना निर्धारिती को ऐसे मामले में भी भेजी जाएगी जहां निर्धारिती द्वारा विवरणी में घोषित हानि कम कर दी गई है किंतु उसके द्वारा कोई कर या ब्याज संदेय नहीं है या कोई प्रतिदाय उसे देय नहीं है :

परंतु यह और कि इस उपधारा के अधीन कोई सूचना उस वित्तीय वर्ष के अंत से एक वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं भेजी जाएगी जिसमें विवरणी दी गई थी ।

**स्पष्टीकरण**—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "विवरणी में किसी सूचना से प्रकट गलत दावा" से ऐसा दावा अभिप्रेत है, जो विवरणी में किसी प्रविष्टि के आधार पर,—

(i) किसी ऐसी मद से संबंधित है जो ऐसी विवरणी में उसी या किसी अन्य मद की किसी अन्य प्रविष्टि से असंगत है ;

(ii) जिसकी बाबत ऐसी प्रविष्टि को सिद्ध करने के लिए दी जाने के लिए अपेक्षित सूचना इस अधिनियम के अधीन इस प्रकार नहीं दी गई है ; या

(iii) किसी कटौती की बाबत है जहां ऐसी कटौती विनिर्दिष्ट कानूनी सीमा से अधिक है जो धन के रूप में रकम या प्रतिशत या अनुपात या उसके खंड के रूप में व्यक्त की गई होती ;

(ख) विवरणी की अभिस्वीकृति उस दशा में सूचना समझी जाएगी जहां खंड (ग) के अधीन निर्धारिती द्वारा कोई राशि संदेय नहीं है या उसे प्रतिदेय नहीं है और जहां खंड (क) के अधीन कोई समायोजन नहीं किया गया है ।

(1क) उपधारा (1) के अधीन विवरणियों पर कार्यवाही करने के प्रयोजनों के लिए, बोर्ड उक्त उपधारा के अधीन अपेक्षित रूप में निर्धारिती द्वारा संदेय कर या उसे देय प्रतिदाय का शीघ्रता से अवधारण करने की दृष्टि से विवरणियों की कार्यवाहियों के केन्द्रीयकरण के लिए स्कीम बना सकेगा ।

(1ख) जैसा अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, उपधारा (1क) के अधीन बनाई गई स्कीम को प्रभावी करने के प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, यह निदेश दे सकेगी कि विवरणियों पर कार्यवाही से संबंधित इस अधिनियम के कोई उपबंध लागू नहीं होंगे या ऐसे अपवादों, उपांतरणों और अनुकूलनों के साथ लागू होंगे जो उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं; तथापि, ऐसा कोई निदेश 31 मार्च, 2009 के पश्चात् जारी नहीं किया जाएगा ।

(1ग) उपधारा (1ख) के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना, उपधारा (1क) के अधीन बनाई गई स्कीम के साथ, अधिसूचना जारी किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी ।';

(ख) उपधारा (2) के खंड (ii) में परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु खंड (ii) के अधीन निर्धारिती पर किसी सूचना की तामील उस वित्तीय वर्ष के अंत से जिसमें विवरणी दी जाती है, छह मास के अवसान के पश्चात् नहीं की जाएगी ।"।

**30.** आय-कर अधिनियम की धारा 147 में, परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— धारा 147 का संशोधन।

"परंतु यह और कि निर्धारण अधिकारी, उस आय से भिन्न, जिसमें ऐसे विषय अंतर्वलित हैं जो किसी अपील, निर्देश या पुनरीक्षण की विषय-वस्तु है, ऐसी आय का, जो कर से प्रभार्य है और निर्धारण से छूट गई है, निर्धारण या पुनः निर्धारण कर सकेगा ।"।

**31.** आय-कर अधिनियम की धारा 151 की उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा और 1 अक्तूबर, 1998 से अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :— धारा 151 का संशोधन।

**"स्पष्टीकरण**—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि, यथास्थिति, संयुक्त आयुक्त, आयुक्त या मुख्य आयुक्त के लिए, धारा 148 के अधीन सूचना जारी करने के लिए मामले की उपयुक्तता के बारे निर्धारण अधिकारी द्वारा अभिलिखित किए गए कारणों के आधार पर समाधान हो जाने के पश्चात्, स्वयं ऐसी सूचना जारी करना आवश्यक नहीं है ।"।

**32.** आय-कर अधिनियम की धारा 153 की उपधारा (3) के पश्चात् ,— धारा 153 का संशोधन।

(क) निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी और 1 जून, 2003 से अंतःस्थापित की गई समझी जाएगी, अर्थात् :—

"(4) इस धारा, धारा 153क की उपधारा (2) और धारा 153ख की उपधारा (1) के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, किसी निर्धारण वर्ष के संबंध में निर्धारण या पुनः निर्धारण का आदेश, जो धारा 153क की उपधारा (2) के अधीन पुनःप्रवर्तित हो गया है, ऐसे पुनःप्रवर्तन के मास के अंत से एक वर्ष के भीतर या इस धारा अथवा धारा 153ख की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, इनमें से जो भी पश्चात्वर्ती हो, किया जाएगा ।";

(ख) स्पष्टीकरण 1 में, परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा और 1 जून, 2007 से अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :—